



2026:AHC:32892

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3371 / 2026

बीरेंद्र प्रताप सिंह व एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: बद्री मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 10.11.2022 को बेदखली, वसूली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया था।
2. उपरोक्त के विरुद्ध एक बहाली आवेदन दायर किया गया था जिसे दिनांक 25.09.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त के विरुद्ध याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 08.10.2025 को जिला कलेक्टर, प्रयागराज के समक्ष वैधानिक अपील प्रस्तुत की गई।
3. यह तर्क दिया गया है कि उक्त अपील के साथ दिनांक 08.10.2025 को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने हेतु एक आवेदन भी दायर किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है, लेकिन आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जनपद प्रयागराज को संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, कानून के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त आवेदन को निस्तारित करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"